<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एम0 के0 सिंह

<u>सदस्य</u>

निगरानी प्रकरण कमांक 1503–V/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–5–2000 पारित द्वारा आयुक्त सागर, संभाग सागर प्रकरण कमांक 239/अ/70/97–98

1– साहब सिंह तनय पंचम सिंह ठाकुर
2– राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह ठाकुर
निवासीगण ग्राम पगरा,तहसील गुनौर,
जिला पन्ना (म.प्र.) ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रमती चन्दाबाई पत्नी सूरजप्रसाद
2– बृन्दावन पुत्र हरीप्रसाद कुर्मी
3– धनुआ पुत्र सुखईया कोरी
सभी निवासीगण ग्राम पगरा, तहसील
गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.) ....अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदिका क–1 की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा)
(अनावेदक कमांक' 2 व 3 पूर्व से एकपक्षीय)

:: <u>आदेश</u> ::

(आज दिनांक 8 – 9 – 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 239/अ/70/97–98 में पारित आदेश दिनांक 16–5–2000 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पगरा स्थित भूमि खसरा नंबर 1565, 1566, 1567, 1584, 1585 रकवा कमश 0.77, 0.37, 1.43, 0.40, 2.59 हैक्टर के अंशभाग कमश 0.5, 0.07, 0.040, 0.08, 0.06 हैक्टर पर आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 द्वारा अवैध कव्जा किये जाने के कारण अनावेदिका कमाक–1 द्वारा नायब तहसीलदार अमानगंज के समक्ष धारा–250 के तहत अवैध कब्जा हटाये जाने वावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–70 वर्ष 95–96 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 25–9–1996 पारित कर अतिकामको के विरूद्ध 250 के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 11/अ–70/96–97 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 30–6–1998 के द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका कमांक–1 द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 239/अ/70/97–98 पेश होने पर आदेश दिनांक 16–5–2000 पारित कर उक्त अपील स्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय पटवारी की रिपोर्ट को बेदखली का आधार मानाा है, जबकि पटवारी रिपोर्ट जब तकक प्रमाणित ना हो और विपक्षी पक्षकार को पटवारी से जिरह का अवसर ना दिया जाये तब पटवारी रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। उक्त विवादित आराजी का सीमांकन नायब तहसलीदार अमानगंज ने प्र0क0 18 अ–21/84–85 दिनांक 27–8–84 को किया जा चुका है। जिसमें दिनांक 11–4–85 के आदेश द्वारा वादग्रस्त भमि की स्थिति स्पष्ट की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि, अनावेदिका कमांक–1 द्वारा कराये गये सीमांकन दिनांक 31–12–95 की रिपोर्ट को आधार मानकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। जबकि, आवेदकगण एवं अनावेदिका चन्दाबाई की भूमि लगी हुई नहीं है फिर भी उनके विरूद्ध आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। नायब

तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई परीक्षण नहीं किया है और न ही प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न है। प्रकरण में संलग्न खसरा पंचशाला बी–1 प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित नहीं है। अतं में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदिका कमांक–1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, नायब तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर धारा–250 के अंतर्गत कार्यवाही आवेदकगण के विरूद्ध की गई थी जिसमें नायब तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 25–9–96 को अनावेदिका क–1 को विधिवत उसकी भूमि पर उसे कब्जा दिलाया गया था जिसका पंचनामा तैयार कराया गया तथा पटवारी ने पंचो के समक्ष आवेदकगण से अनावेदिका क–1 को कब्जा दिलाकर प्रतिवेदन नायव तहसीलदार अमानगंज को प्रस्तुत किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि, नायब तहसीलदार स्वत्व के संबंध में परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखते है वह राजस्व अभिलेख में अभिलिखित रकवा के आधार पर ही धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते है सीमांकन के समय स्वंय आवेदकगण उपस्थित थे और उनके समक्ष ही विधिवत सीमांकन किया गया था उक्त सीमांकन के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कोई अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतं में उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, ग्राम पगरा स्थित भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 1565, 1566, 1567, 1584, 1585 रकवा कमश 0.77, 0.37, 1.43, 0.40, 2.59 हैक्टर के अंशभाग कमश 0.5, 0.07, 0.040, 0.08, 0.06 हैक्टर पर आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 द्वारा अवैध कव्जा किये जाने के कारण अनावेदिका कमाक–1 द्वारा संहिता की धारा–250 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन–पत्र मय सीमाकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक–2 व 3 को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया

गया। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर स्वीकृत सीमांकन आदेश दिनांक 7–1–96 एवं उसके साथ अन्य दस्तावेज पंचनामा दिनांक 23–11–95 पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 23–9–96 साक्षी पन्नालाल एवं छिद्दी आदि के कथन लेकर नायब तहसीलदार द्वारा विधिसम्मत आवेदकगण के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–250 के तहत कार्यवाही की गई है। जिसे आयुक्त सागर द्वारा यथावत रखे जाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। तथा आयुक्त सागर, सभांग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 239/अ/70/97–98 में पारित आदेश दिनांक 16–5–2000 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर